



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 052947

यह नगरपालिका स्थापना गर्ने
 बन्दाको लागि कानूनको
 जिला हाइकोर्टको नं. 1/78/76
 अनुवीकृत गर्ने गरिएको छ।



राज्य प्रतिक्रिया
 प्रधान सचिव
 मुख्य कार्यालय, लखनऊ
 दिनांक 29/06/2019

सुन्दर लाल मेमोरियल गैलरी के अन्दर एडुकेशनल सोसाइटी
 टाउन पोस्ट-कुरुसठ गौड अशोक नगर, जिला-हरदोई
 सदस्यकारिणी समिति की सूची वर्ष :- 2019-2020

क्र. स.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री मोहित कुमार पुत्र श्री केहरि सिंह	अशोक नगर, कुरुसठ जिला-हरदोई	अध्यक्ष	खाजाना
2.	श्री केहरि सिंह पुत्र स्व० सुन्दर लाल	अशोक नगर, कुरुसठ जिला-हरदोई	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र स्व० संकटा प्रसाद श्रीवास्तव	जलाली पट्टी, पहाडी गेट भुल्लानपुर, वाराणसी	सचिव/प्रबन्धक	समाजसेवा
4.	श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	माधो टाण्डा रोड, निकट-आस्था अस्पताल, गौहगिया चुंगी, पीलीभीत	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	नमिता देवी पुत्री श्री अवध बिहारी	बासा, मल्लावा हरदोई	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री सूरत सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह	अशोक नगर, कुरुसठ जिला-हरदोई	सदस्य	शिक्षणकार्य
7.	श्रीमती अर्चना देवी पत्नी श्री सूरत सिंह	अशोक नगर, कुरुसठ जिला-हरदोई	सदस्य	समाजसेवा
8.	अम्बिका श्रीवास्तव पुत्री श्री उमेश श्रीवास्तव	एल-14/ब एन ई आर लोकां कालोनी, मदेरिया, राजेपुर नगर, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री राजकुमार	अशोक नगर, कुरुसठ जिला-हरदोई	सदस्य	समाजसेवा
10.	श्रीमती पाण्डा पुत्र श्री गौतम पाण्डा	बासुदेवपुर, पुष्पा मेदनीपुर परिचय क्रमांक-721452	सदस्य	समाजसेवा
11.	विजय कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार सिंह	लोवर हाट, राजा चौक रांची, झारखण्ड-834003	सदस्य	समाजसेवा
12.	गोपाल सिंह पुत्र श्री अशोक सिंह	शिव लुट पुरवा पोस्ट, कुरुसठ जिला-हरदोई कैम्प नम्बरा, बिहार-821109	सदस्य	समाजसेवा

(सत्यप्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

10. Singh

9. पोलिसों एवं अन्य लोकल लोक एजेंसियों के खिलाफ जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा बीमारियों में प्रथा सम्बन्ध पहुंचाने हेतु कार्यक्रमों का प्रबन्धन एवं संचालन करना।
10. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों, विछोटी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कार्य करना, प्रचार प्रसार करना एवं प्रबन्धन करना।
11. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला, लोक संस्कृति के संरक्षण एवं सम्बर्धन के लिए कार्य करना एवं विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, वाद-प्रतिवाद प्रतियोगिता, खेलकूद, प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मानित करना, जागरूकता शिविर, प्लस पोलिसो शिविर, स्वास्थ्य शिविर, योगा कार्यक्रम, व्यायामशाला, सामाजिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना, व्यवस्था एवं संचालन करना।
12. समाज के निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता, पुस्तकालय तथा शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था एवं संचालन करना।
13. मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउण्डेशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, अल्पसंख्यक, कार्य मंत्रालय, आगा खान फाउण्डेशन, अल्पसंख्यक आयोग, केन्द्रीय एवं राज्य समाजकल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, खेल मंत्रालय, शिक्षा विभाग, बागवानी बोर्ड, विश्व बैंक, केन्द्रीय एवं राज्य पर्यटन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, राष्ट्रीय महिला कोष, अल्पसंख्यक विभाग, सूडा, डूडा, राजीव गांधी फाउण्डेशन, महिला कल्याण केन्द्रीय महिला कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण निदेशालय, भूमि सुधार, वृक्षारोपण, कार्यक्रम आदि द्वारा संचालित महिला कल्याण एवं बाल विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण व शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रचार प्रसार करना।
14. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 2000, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कमीशन जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग कुटीर उद्योगों की स्थापना व प्रचार प्रसार करना।
15. समाज के कमजोर एवं पिछड़े गरिब, असहाय, शोषित, पीड़ित, वृद्ध एवं बेघर लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु प्रयास करना। तथा शिक्षित करना आत्मनिर्भर बनाना।
16. स्वर्ण जयंती ग्राम सरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं प्रचार प्रसार करना एवं महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना महिलाओं के चतुर्मुखी विकास के लिए कार्य करना।
17. भ्रूण हत्या एवं महिलाओं अपराधों के रोकने हेतु प्रयास एवं प्रचार प्रसार करना एवं प्रबन्धन एवं संचालन प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार व अन्य एजेंसियों के सहयोग से करना।
18. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं भूमि प्रबन्धन के कार्यक्रमों का संचालन एवं निःशुल्क व्यवस्था करना।
19. गरीब निराश्रित एवं बच्चों हेतु भालना गृह एवं आश्रय गृह का संचालन एवं निःशुल्क व्यवस्था करना।
20. विकलांगों के उत्थान हेतु प्रयास करना एवं कोच सरकार / राज्य सरकार की योजनाओं से होने वाले लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास करना। प्रधान मंत्री कौशल विकास कार्यक्रम व अन्य तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबन्धन एवं संचालन करना।
21. सत्य प्रतिलिपि
22. शासन की अनुमति के अधिनत जनसाधारण हेतु आयुर्वेद / योगोपश्री /

23. शासनसेवाओं के मानक के अनुसार भौतिक कालेज, हास्पिटल, कम्पाउंड हास्पिटल, कार्माविशुद्धिकरण वन औषधि केंद्र, नर्सिंग होम, प्रोथेसिस, शोध केंद्र, योग तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि की स्थापना एवं संचालन करना जिसमें दवा का निःशुल्क वितरण करना।
24. ग्रामीण उत्पादन हेतु गी-पालन एवं वैज्ञानिक तरीकों द्वारा उन्नति पशुओं के पालन द्वारा उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादकों को तैयार कराने व बढ़ावा देने कार्यक्रम तैयार करना व प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था एवं संचालन करना।
25. रक्तदान, नेत्रचिकित्सा, नेत्रदान, परिवार नियोजन, दुर्घटना, पीड़ितों उत्तम स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण आदि कार्यक्रमों का स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के उपरान्त आयोजन कर मानव समाज को लाभ पहुंचाना।
26. शासन के मानकों के अनुसार शैक्षिक विकास हेतु हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय, महाविद्यालय, पब्लिक स्कूल, प्ले स्कूल, कान्वेंट स्कूल, बालिका विद्यालय, इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, विकलांग विद्यालय, आई.टी.आई., सी एड, डी एन एड, व्यवसायिक शिक्षा, पालीटेक्निक व इंजीनियरिंग कालेज, प्रावधिक शिक्षा, लॉ कालेज, कालेजों शिक्षण क्लासेज / इण्टर कालेजों/कालेजों/ विश्वविद्यालय व डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्धता के साथ प्रशिक्षण संस्थान चलाने हेतु स्थापना एवं संचालन करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना।
27. सभी विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकार की संगठितियों, मेलों तथा अन्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना एवं आयोजन करवाने की व्यवस्था एवं संचालन करना।
28. संस्था द्वारा जनहित में सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में आउटसोर्सिंग (मानव प्रबन्धन) की आपूर्ति एवं प्रबन्धन का कार्य करना जिससे संस्था द्वारा लोगों का हित हो सके।
29. गांवों के विकास एवं किसानों उत्थान हेतु ग्रामों में मूदा स्वास्थ्य प्रबन्धन कृषकों को भिद्री उर्वरता को जानकारी प्रदान करना, मूदा नमूना संग्रहण, मूदा नमूना टेस्टिंग करवाना, काडों की कीडिंग, प्रिंटिंग एवं लेमिनेशन करवाना। जैविक खेती को बढ़ावा देना उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करवाना असुलित उर्वरकों का कृषकों के खेतों में प्रयोग करवाना। कृषकों को राज्य के अन्दर बाहर भ्रमण पर ले जाना। प्रशिक्षण देना, कृषकों एवं महिलाओं के समूहों का निर्माण करवाना।
30. सामाजिक, आर्थिक पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सम्बन्धी आदि जागरूकता के लिए पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूक करना।
31. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता एवं प्रशिक्षण का प्रबन्धन एवं संचालन प्रदश सरकार एवं भारत सरकार व अन्य एजेन्सियों के सहयोग से करना।
32. तम्बाकू से होने वाले नुकसान से लोगों को शायदान् जन्मो के प्रथम प्रयास करना।
33. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, विधेय व छोटे किसानों के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करना।
34. वृत्तचित्र, नाटक, थियेटर, नुक्कड़, नाटक, धारावाहिक, फीचर फिल्मों का निर्माण द्वारा जन जागरण करना।

सत्य प्रतिनिधि

(सत्यप्रतिलिपि)

प्रधान

संशोधित-नियमावली

1. संस्था का नाम : सुन्दर लाल भैमोरिचल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पूरा पता : टाउन पोस्ट-कुरसठ मो० अशोक नगर, जिला-हरदोई
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. संस्था की संदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

आजीवन सदस्य :-

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 5000/-रुपये नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल वा अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य :-

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे एवं संस्था के विकास हेतु 500/-रुपये वार्षिक चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वह संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति :-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल वा दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग पत्र पारित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

6. संस्था के अंग :-

(अ) साधारण सभा (ब) इन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :-

गठन :-

साधारण सभा का गठन आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें :-

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति :-

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थित मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी

1 (K. Singh)
2 (K. Singh)
3 (K. Singh)
4 (K. Singh)



सत्य प्रतिनिधि
प्रधान सहायक

साधारण सभा के अधिकार एवम् कर्तव्य :-

1. प्रबंधकारिणी समिति का नियर्धन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के नियमों, विधियों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :-

गठन :-

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-एक, सचिव / प्रबन्धक-एक, कोषाध्यक्ष-एक तथा 08 सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 12 होंगी। जो आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष विधि से होगी।

बैठकें :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना आवश्यक है।

गणपूर्ति :-

प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति :-

प्रबंधकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवम् कर्तव्य :-

1. समिति के लिए धन एकत्र करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट / वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. शासन, नगर प्रशासन, कालोनाइजर, तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के कल्याण समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पर्क स्थापित करना।
5. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग, कर्नाटक कपार्ट, अवार्ड, नावार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हथकरघा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यूनिसेफ, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, जिला उद्योग केन्द्र, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यटन विभाग, वन विभाग, पशुधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, महिला कल्याण निगम, अल्पसंख्यक विभाग उ.प्र. अल्पसंख्यक विकलांग कल्याण विभाग, उद्योग विभाग उ.प्र. आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय, सिफसा, सैफ हेल्पेज



राज्य प्रकल्पि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

संस्थाओं, नगरीय स्थितियों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयों एवं राष्ट्रीय एवं विदेशी संस्थाओं व अन्य श्रोतों से धन, अनुदान एवं वित्तीय सहायता एवं राष्ट्रीयकृत एवं गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करना।

4. संस्था की शाखाओं / उपसमितियों का गठन करना और उस पर नियंत्रण रखना।
5. संस्था के लिए चल अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

ऋण अदायगी :

यदि संस्था खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उ.प्र. खादी कमिशन व बैंकों से ऋण प्राप्त करती है तो उसकी सुरक्षा एवं अदायगी के लिए प्रबन्धकारिणी के सभी सदस्य व पदाधिकारी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे और जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नहीं हो जाती तब तक उनका दायित्व बना रहेगा वही वह सदस्यता से अलग हो जायें।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवम् कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना और बैठकों को स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. संस्था के विकास हेतु प्रयास करना।
5. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
6. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना एवं समस्त प्रमुख अधिकार का निर्वाहन करना।
7. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
8. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
9. बैठकों की कार्यवाही लिपिविद्ध करना।
10. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
11. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना।
12. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
13. संस्था की ओर से केन्द्रीय / राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।

उपाध्यक्ष :-

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिये गये कार्यों को करना।
2. संस्था के विकास हेतु कार्य करना।

सचिव/प्रबन्धक :-

1. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
2. बैठकों की सूचना लिखित रूप में देना।
3. कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
4. सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
5. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।

1/11/2020
2 Prakash

3 K. Singh

4 Abhishek Srivastava

ओनाही



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

